

## सूचना

कोल इंडिया लिमिटेड की पुनर्वास एवं पुनःस्थापना नीति, 2012 के अंतर्गत (1) मोहम्मद ईस्माइल पिता मोहम्मद हानिफ, (2) मोहम्मद अमीम पिता मोहम्मद याकूब, (3) इमरान अहमद पिता कुर्बान अहमद, (4) मोहम्मद रहीम पिता स्वर्गीय जमाल्लुदीन, (5) मंसूर आलम पिता अफज़ल मिया और (6) मोहम्मद नियामत अंसारी पिता स्वर्गीय रबुल मिया, निवासी ग्राम: परेज, थाना: मांडू जिला: रामगढ़ (झारखण्ड) को सी बी ए, 1957 अधिनियम के तहत ग्राम: परेज और दुरुकस्मार, थाना सं: 117 और 108, खाता सं. 01 और 61 के अधीन प्लॉट सं. 231/3247, 203/3251, 231/3249, 231/3248, 231/3246, 265/3250 और 314, कुल रकबा - 12.00 एकड़ भूमि के अधिग्रहण के एवज में रोजगार का एक प्रस्ताव प्रोसेस किया गया है।

अगर उक्त रोजगार पर किसी भी व्यक्ति का कोई दावा/ आपत्ति हो तो वे इस सूचना के प्रकाशन/ बेबसाईट [http://www.centralcoalfields.in/indsk/noti\\_empl\\_ind.php](http://www.centralcoalfields.in/indsk/noti_empl_ind.php) पर इस सूचना को डाले जाने की तारीख से पंद्रह दिनों के अंदर सभी दस्तावेजों एवं साक्ष्य के साथ अपनी आपत्ति लिखित रूप में महाप्रबंधक (भूमि एवं राजस्व), सी.सी.एल, राँची के समक्ष उठा सकते हैं।

अगर उक्त पंद्रह दिनों के अंदर कोई आपत्ति प्राप्त नहीं होती है, तो यह मान लिया जाएगा कि उपरोक्त ग्राम: परेज और दुरुकस्मार, थाना सं: 117 और 108, खाता सं. 01 और 61 के अधीन प्लॉट सं. 231/3247, 203/3251, 231/3249, 231/3248, 231/3246, 265/3250 और 314 कुल रकबा - 12.00 एकड़ के तहत (1) मोहम्मद ईस्माइल पिता मोहम्मद हानिफ, (2) मोहम्मद अमीम पिता मोहम्मद याकूब, (3) इमरान अहमद पिता कुर्बान अहमद, (4) मोहम्मद रहीम पिता स्वर्गीय जमाल्लुदीन, (5) मंसूर आलम पिता अफज़ल मिया और (6) मोहम्मद नियामत अंसारी पिता स्वर्गीय रबुल मिया, ग्राम: परेज, थाना: मांडू, जिला: रामगढ़ (झारखण्ड) के निवासीके भूमि के रोजगार प्रस्ताव पर कोई भी आपत्ति नहीं है।

राजेश  
23/12/17

Received on 30/12/17